

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 रेड़ी

अनुवान सुमन कँवर बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 540/2025

निर्णय दिनांक .....11/11/25.....

सुमन कँवर रणजीतसिंह राजपूत पत्नी रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी जवानीपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-::निर्णय::-

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 रेड़ी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 10 के ख.नं. 21 तादादी 4.5396 हैक्ट., ख.नं. 6 तादादी 1.1254 हैक्ट., ख.नं. 69 तादादी 5.8673 हैक्ट., ख. नं. 70 तादादी 15.1740 हैक्ट., भूमि रोही ग्राम रेड़ी तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम सुमन कँवर पत्नी रणजीतसिंह दर्ज है जो कि गलत है जबकि सही नाम सुमन कँवर रणजीतसिंह राजपूत पत्नी रणजीत सिंह है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम सुमन कँवर पत्नी रणजीतसिंह के स्थान पर सुमन कँवर रणजीतसिंह राजपूत पत्नी रणजीत सिंह किये जाने की अभिशंका की है।

अतः खाता संख्या 10 के ख.नं. 21 तादादी 4.5396 हैक्ट., ख.नं. 6 तादादी 1.1254 हैक्ट., ख.नं. 69 तादादी 5.8673 हैक्ट., ख.नं. 70 तादादी 15.1740 हैक्ट., भूमि रोही ग्राम रेड़ी तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सुमन कँवर पत्नी रणजीतसिंह Delete कर इसके स्थान पर सुमन कँवर रणजीतसिंह राजपूत पत्नी रणजीत सिंह अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .....11/11/25..... को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 रेड़ी में लिखाया जाकर सुनाया

गया।



*Rajendra*  
राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)